जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 39/2015 सिण्डीकेट बैंक शाखा रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर बनाम 1. विकास ग्रोवर पुत्र हरीराम ग्रोवर निवासी 71 आदर्शनगर, नजदीक नेहरू पार्क, श्रीगंगानगर–मूल ऋणी 2– सुरेश ग्रोवर 3– नरेन्द्र कुमार 4–श्री हरीराम (मृत्तक) वारिसान 4/1–रिचा ग्रोवर पत्नि सुरेश ग्रोवर 4/2–बिसामा ग्रोवर पुत्र सुरेश ग्रोवर–नाबालिग 4/3 चेतन्य पुत्र सुरेश ग्रोवर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.07.2016

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री राकेश कुमार अभिभाषक उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 05.07.2016 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री राकेश कुमार का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं0 1 विकास ग्रोवर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण राशि 9,00,000/–रूपये (अखरे रूपये नौ लाख मात्र) दिनांक 04.09.2011 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सं0 2,3व 4 की गारन्टी ली गई। **किन्तु अप्रार्थी सं0 4 हरीराम पुत्र चुन्नीलाल गारन्टर द्वारा अपनी व्यवसायिक दुकान संख्या 18, 19, 20ए साईज कुल पैमायशी 474 वर्गफीट (बेसमेंट+ ग्राउण्ड़+3) स्थित पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा।** अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता दिनांक 30.06.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.09.2014 को कुल 27,48,745.11रूपये राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थी ऋणी एवं गारन्टरस को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 29.09.2014 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। अप्रार्थी सं0 1 विकास ग्रोवर का लिफाफा एडी पोस्टमेन की टिप्पणी "प्राप्तकर्ता लम्बे समय तक बाहर गया है के साथ प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी सं0 2,34/1 को नोटिस प्राप्त हो चुके है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी गारन्टर हरीराम द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी व्यवसायिक दुकान संख्या 18, 19, 20ए साईज कुल पैमायशी 474 वर्गफीट (बेसमेंट+ ग्राउण्ड़+3) स्थित पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी विकास ग्रोवर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 9,00,000/–रूपये (अखरे रूपये नो लाख मात्र) दिनांक 24.09.2001 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में गारन्टर हरीराम द्वारा अपनी व्यवसायिक दुकान संख्या 18, 19, 20ए साईज कुल पैमायशी 474 वर्गफीट (बेसमेंट+ ग्राउण्ड+3) स्थित पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 01.09.2014 को एनपीए घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी एवं गारन्टरस व गारन्टर हरीराम मृत्तक के वारिसान को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 25.09.2014 डाक द्वारा भिजवाये गये।

पत्रावली में उपलब्ध **ऋणी विकास ग्रोवर के नाम की रजि0 एडी रसीद पर यह नोट अंकित है कि इस नाम का प्राप्तकर्ता लम्बे समय के लिए बाहर गया है।** अप्रार्थी गारन्टर सुरेश ग्रोवर, नरेन्द्रकुमार अनेजा व प्रा0 पत्र में अंकित मृत्तक हरीराम गारन्टर की वारिसान रिचा ग्रोवर की एडी रसीदों पर प्राप्ति के हस्ताक्षर है। प्रा0 पत्र में दर्शाये गये गारन्टर हरीराम के अन्य वारिसान बिसामा ग्रोवर पुत्र सुरेश ग्रोवर व चेतन्य पुत्र सुरेश ग्रोवर नाबालिगान जरिये माता कुदरती बली रिचा ग्रोवर के नाम नोटिस भिजवाये जाने नही पाये जाते है जबकि उक्त नाबालिगान के नोटिस धारा 13(2) के जरिये माता भिजवाये जाने चाहिए। मृत्तक गारन्टर हरीराम के वारिसान का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह ज्ञात नही होता है कि मृत्तक हरीराम गारन्टर के वारिसान कौन–2 है कानूनन मृत्तक हरीराम के समस्त वारिसान को भी धारा 13(2) का नोटिस जारी किया जाना चाहिए था।

पत्रावली में उपलब्ध रसीद दिनांक 14.09.2001, 21.02.2002 व 21.02.2002 (प्राप्ति दिनांक 13.03.2002) की प्रतियों अनुसार प्रार्थी बैंक द्वारा विकास ग्रोवर के नाम स्वीकृत ऋण 9,00,000रूपये का भुगतान किश्तो में 3.,04,300रूपये दिनांक 14.09.2001 को, 2.38,000रूपये 21.02.02 को व 2,38,000रूपये दिनांक 21.02.02 को यूइए, नोरविच, लंदन (विदेश) में किया गया है। **इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी विकास ग्रोवर को ऋण राशि का भुगतान विदेश पते पर किया गया है जबकि बैंक द्वारा धारा 13(2) का नोटिस ऋणी विकास ग्रोवर को स्थानीय पते पर भिजवाया गया है जिस पर यह अंकित है कि वह लम्बे समय के लिए बाहर गया हुआ है। जब प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थी ऋणी को ऋण राशि का भुगतान विदेश पते यूइए, नोरविच, लंदन (विदेश) पर किया गया है तो ऐसी स्थानीय पते पर नोटिस की तामील न होने पर उक्त विदेशी पते पर उसकी तामील विधिवत रूप से करवानी चाहिए थी जो नही करवाई गई है जबकि कानूनन ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील करवाना आवश्यक है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

39/15

AB/3

इस प्रकार न तो ऋणी विकास ग्रोवर को धारा 13(2) के नोटिस की तामील विधिवत हुई है और न ही मृत्तक गारन्टर हरीराम, जिसके द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी दुकाने बंधक रखी गयी है का मृत्यु प्रमाण पत्र और न ही उसके जायज वारिसान का प्रमाण पत्र पेश किया है। कानूनन मृत्तक गारन्टर हरीराम के समस्त वारिसान को भी धारा 13(2) का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में हरिराम के जो वारिसान बिसामा ग्रोवर पुत्र सुरेश ग्रोवर व चेतन्य पुत्र सुरेश ग्रोवर नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता रिचा ग्रोवर दर्शाये गये है इन नाबालिगान के नाम भी नोटिस जरिये कुदरतीवली माता भिजवाये जाने नही पाये जाते है। ऐसी दशा में प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 14 खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रा0 पत्र धारा 14 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1320/22-7-16

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर